

**Court of Additional Sessions Judge- I, Danapur**

**A.B.P. No.- 2281/2025**

**Danapur P.S. Case No.- 799 of 2025**

**22-12-2025**

आवेदक की ओर से List of document के साथ कुछ कागजातों की छायाप्रति दाखिल की गई। उभयपक्ष उपस्थित हुए। सूचक की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता कथन करते हैं कि यह मामला पति-पत्नी के विवाद से संबंधित है। अतः आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध अगली तिथि तक कोई भी प्रपीड़क कार्यवाही पर रोक लगाने हेतु आदेश प्रदान किया जाये ताकि वह अगली तिथि पर न्यायालय में उपस्थित हो सके। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता भी उपरोक्त तथ्य का समर्थन करते हैं। **अतः आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 10.01.2026 तक कोई भी प्रपीड़क कार्यवाही (No coercive step) करने पर रोक लगायी जाती है।** उभयपक्ष उक्त तिथि को सुनवाई हेतु उपस्थित रहे। कांड दैनिकी एवं आपराधिक इतिहास अप्राप्त। विद्वान अपर लोक अभियोजक कांड दैनिकी एवं आपराधिक इतिहास प्रस्तुत करें। कार्यालय इस आदेश की एक प्रति संबंधित न्यायालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अविलंब प्रेषित करे।

लेखापित

Sd./-

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम  
दानापुर।